

विभिन्न जनसांख्यिकीय चर के संबंध में राजस्थान राज्य के उच्च शिक्षा के छात्रों के बीच साइबर अपराध जागरूकता का विश्लेषण

अवनीश कुमार त्यागी,
प्रो. (डॉ.) आर. के. एस. अरोरा
शिक्षा विभाग, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT /OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE /UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION.FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

सारांश

आजकल इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। हर कोई साइबर दुनिया पर बहुत अधिक निर्भर है जिससे साइबर अपराध की गुंजाइश भी बढ़ती है। आज के परिदृश्य में साइबर क्राइम एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। इंटरनेट हमारे जीवन का एकीकृत हिस्सा बन जाता है क्योंकि यह खुशी या खुशी लाता है लेकिन कभी-कभी यह दुःस्वप्न बन जाता है। लोगों को धोखा देने के लिए साइबर अपराधी कई तरकीबें अपनाते हैं। साइबर दुनिया हर किसी की ताकत बन गई है, सरकारी क्षेत्र से लेकर व्यवसायियों तक, स्कूली छात्रों से लेकर कॉलेज के छात्रों तक और किशोरों से लेकर वयस्कों तक। इस अध्ययन में जांचकर्ता कॉलेज के छात्रों के बीच साइबर अपराध जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण के बारे में जांच करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए, अन्वेषक ने हरियाणा राज्य से व्यावसायिक और पारंपरिक पाठ्यक्रमों के 500 छात्रों को लिया। डेटा संग्रह के लिए डॉ. एस. राजशेखर (2013) द्वारा साइबर अपराध जागरूकता स्केल (सीसीएस-आरएस) का उपयोग किया गया था। इस परिणाम से पता चला कि पारंपरिक छात्रों की तुलना में पेशेवर छात्रों में साइबर अपराध शब्दों के प्रति अधिक जागरूकता है, लेकिन लिंग के आधार पर कोई अंतर नहीं है। अध्ययन में कॉलेज के छात्रों के बीच औसत साइबर अपराध जागरूकता भी देखी

गई। जैसा कि हम जानते हैं कि साइबर अपराध दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम उचित निवारक उपायों का उपयोग करके इन अपराधों को कम कर सकते हैं। हर किसी को इंटरनेट का उपयोग करते समय हमेशा कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कार्यशालाओं, सेमिनारों एवं सम्मेलनों आदि का आयोजन करके विद्यार्थियों को जागरूक किया जा सकता है।

मुख्यशब्द: साइबर अपराध जागरूकता, लिंग, साइबर अपराध, पेशेवर छात्र, पारंपरिक छात्र।

परिचय

कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी आईसीटी आधारित तकनीक समाज को अत्यधिक लाभ पहुंचाती है। दुनिया में हर तीन में से एक व्यक्ति के पास इंटरनेट तक पहुंच थी। यह हमारे समाज और इसके प्रत्येक पहलू जैसे व्यवसाय, मनोरंजन और शैक्षिक क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के प्रत्येक स्तर के लिए भी इसका बहुत बड़ा लाभ है। वर्तमान परिदृश्य में, आईसीटी आधारित तकनीक हर किसी के जीवन के लिए सबसे लोकप्रिय और फायदेमंद में से एक है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई फेस बुक, ट्विटर, कंप्यूटर, स्मार्ट फोन और टैबलेट आदि जैसे शब्दों से बहुत परिचित है। पारंपरिक कक्षा शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षक व्याख्यान पद्धति का उपयोग करके कक्षा में पढ़ाते हैं और छात्र धैर्यपूर्वक सुनते हैं और नोट्स भी बना रहे हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत ज्ञान के प्रसार में शिक्षक-छात्र संपर्क को एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है। हालाँकि, सूचना संचार और प्रौद्योगिकी में क्रांतियों ने ज्ञान के प्रसार की प्रक्रिया को बदल दिया जिससे यह पुराना प्रतिमान बदल गया। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, शिक्षण पद्धति इतनी सशक्त हो गई है कि शिक्षा का नया युग एमओओसी जैसे नए रूप के साथ शुरू होता है। इसके अलावा, इस प्रगति ने पुराने पारंपरिक शिक्षण को नए ऑनलाइन शिक्षण की ओर अग्रसर किया है। बस इसी कारण से कई शैक्षणिक संस्थानों ने ऑनलाइन मोड में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जो ज्ञान के प्रसार में बहुत अच्छा कदम है। उज्ज्वल तकनीकी भविष्य बनाने के लिए डिजिटल

ब्लूम टैक्सोनॉमी पर आधारित नई शिक्षण विधियों की शुरुआत की गई। प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा दिन-ब-दिन अधिक प्रबल होती जा रही है। पाठ्यक्रम में बदलाव के असर को स्कूल-कॉलेजों में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कंप्यूटर और इंटरनेट ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में बड़ी संख्या में शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया में कंप्यूटर और साइबर संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान युग में शिक्षा में ज्ञान के प्रसार हेतु साइबर संसाधनों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से, शिक्षक ऐसे संसाधनों का उपयोग करके बेहतर संचार सक्षम कर सकते हैं और विषय वस्तु को प्रासंगिक और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। कक्षाएँ पारंपरिक से आभासी की ओर बदल रही हैं जो शिक्षार्थियों को शिक्षण और सीखने के बारे में व्यावहारिक रूप से समझने की अनुमति देती हैं। यह शिक्षार्थियों को विषय सामग्री को लंबे समय तक याद रखने में भी मदद करता है। यह शिक्षकों को एक विस्तृत नेटवर्क प्रदान करता है जिस पर वे साइबर संसाधनों के माध्यम से दुनिया में कहीं से भी उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करके नवीन विचारों और शिक्षण के विभिन्न तरीकों को साझा कर सकते हैं।

साइबर क्राइम

पिछले दस वर्षों में साइबर दुनिया बहुत तेजी से फैली है। यह मनोरंजन, व्यवसाय, खेल और विशिष्ट शिक्षा जैसे हर क्षेत्र पर हावी हो रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर वरदान का एक अभिशाप होता है और इसका अभिशाप है साइबर क्राइम जिसका अर्थ है इंटरनेट पर आधारित अवैध गतिविधियाँ। इंटरनेट समाज को सुरक्षा के खतरे से बाहर निकालता है। अपराधी और हैकर्स इंटरनेट का उपयोग कई अवैध गतिविधियों जैसे हैकिंग, बैंक धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी, सॉफ्टवेयर चोरी, वायरस हमले और कई अन्य चीजों को करने के लिए करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियाँ व्यक्ति की निजता को ख़त्म कर देती हैं और उसे परेशान कर देती हैं। ये गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और दुनिया के लिए एक नवीनतम और सबसे बड़ी समस्या बन गई हैं।

कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग से सूचना भंडारण बहुत आसान हो जाता है क्योंकि यह आसान तरीके से नकल और हेरफेर का समर्थन करता है। तो, इंटरनेट पर अधिकतम जानकारी उपलब्ध है। अधिकतम कंप्यूटर और विशेष रूप से मोबाइल फोन हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, जो हमलावर को उस तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करते हैं। इसलिए, एक अपराधी सुरक्षित भौतिक दूरी से वांछनीय जानकारी का आकलन कर सकता है। कंप्यूटर का उपयोग करके किए गए इस प्रकार के अपराध को साइबर-अपराध कहा जाता है।

साहित्य की समीक्षा

एस. राजशेखर (2010) ने बी.एड. में साइबर जागरूकता के निर्धारक के रूप में लिंग, क्षेत्र और धारा को पाया। छात्र. पलंग। छात्रों ने साइबर अपराध पर उच्च जागरूकता दिखाई और महिला छात्रों ने पुरुष छात्रों की तुलना में साइबर अपराध पर अधिक जागरूकता दिखाई। इसके अलावा शहरी छात्र ग्रामीण समकक्षों की तुलना में साइबर अपराध पर अधिक जागरूकता दिखाते हैं। पलंग। विज्ञान विषयों के छात्र कला विषयों की तुलना में साइबर अपराध के बारे में अधिक जागरूकता दिखाते हैं। उचित प्रशिक्षण और शिक्षा की कमी के साथ-साथ, साइबर अपराध के बारे में भारतीय समाज में जागरूकता के निम्न स्तर के कारण साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। सिंगारवेलु और पिल्लई (2014) ने पाया कि अधिकांश बी.एड. साइबर मंचों पर छात्रों की जागरूकता निम्न स्तर पर है। गोयल (2014) ने बी.एड. के बीच साइबर जागरूकता पर क्षेत्र और स्ट्रीम का सकारात्मक महत्वपूर्ण प्रभाव पाया। छात्र, लिंग का नहीं। मल्होत्रा और मल्होत्रा (2017) ने 240 शिक्षक प्रशिक्षुओं पर एक अध्ययन किया और पाया कि अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षुओं में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता का स्तर तुलनात्मक रूप से मध्यम है और उनके साइबर अपराध जागरूकता के स्तर पर लिंग और स्थानीयता का महत्वपूर्ण प्रभाव है।

सरोज मेहता और विक्रम सिंह (2013) ने निष्कर्ष निकाला कि साइबरस्पेस पर लोगों और संगठनों की बढ़ती निर्भरता के परिणामस्वरूप साइबर अपराधों में समानांतर वृद्धि हुई है। समय के साथ अध्ययनों ने इस तथ्य को उजागर किया है कि आम आदमी के पास साइबर दुनिया में होने वाले अपराधों के बारे में अपर्याप्त समझ या ज्ञान है (ब्रेनर, 2010)। इसलिए, साइबर अपराध को रोकने के लिए ज्ञान सभी के लिए अनिवार्य है (वांग एट अल., 2008)। अशोकिया (2010) ने पाया कि शिक्षा का स्तर साइबर अपराध के बारे में छात्रों की धारणाओं में अंतर में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ज्ञान लोगों को साइबर अपराध पर अधिक जागरूक या जागरूक होने में मदद करता है (लेविन एट अल., 2008)। आगे के अध्ययनों से पता चला है कि लोग अपनी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी को कम औपचारिक सेटिंग में प्रकट करने की अधिक संभावना रखते हैं, जैसे कि आकस्मिक बातचीत या सामाजिक नेटवर्क पर (जॉन एट अल., 2011)। ई-धोखाधड़ी और पहचान की चोरी ने दुनिया भर में वित्तीय नुकसान पहुंचाया है और यह बड़े पैमाने पर देश के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। (ह्यूवेन और बॉटटरमैन, 2003), (क्रौट एट अल., 1998)। यह पाया गया है कि कभी-कभी सुरक्षा जोखिमों की समझ के बावजूद भी, व्यक्तियों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति होती है, वे अवास्तविक रूप से आशावादी होते हैं, यह मानना कि उनके साथ नकारात्मक घटनाएं घटित होने की संभावना कम है (कैंपबेल, 2007), वे किसी भी जोखिम को समझने में असमर्थ हैं तत्काल नकारात्मक परिणाम, या वे एक सुविधा-सुरक्षा व्यापार बंद कर देते हैं (टैम एट अल., 2010)। जीवनशैली सिद्धांत के तहत, लिंग या लिंग को महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय विशेषता माना जाता है जो जीवनशैली में अंतर से जुड़ा होता है (एनजीओ और पैटरनोस्टर, 2011)। शोध से पता चला है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच अलग-अलग धारणाएं और जागरूकता हैं (ली, 2006)। टिटि (2003) ने पाया कि महिलाएं साइबर नियमों के प्रति अतिरिक्त जागरूक हैं और उनमें पुरुषों की तुलना में बेहतर नैतिक मूल्य हैं। उन्होंने यह भी पाया कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं शिकार बनने के प्रति कम संवेदनशील होती हैं।

अध्ययन का औचित्य

आजकल इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। हर कोई साइबर दुनिया पर बहुत अधिक निर्भर है जिससे साइबर अपराध की गुंजाइश भी बढ़ती है। आज के परिदृश्य में साइबर क्राइम एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। इंटरनेट हमारे जीवन का एकीकृत हिस्सा बन गया है क्योंकि यह खुशी लाता है लेकिन कभी-कभी यह दुःस्वप्न बन जाता है। लोगों को धोखा देने के लिए साइबर अपराधी कई तरकीबें अपनाते हैं। साइबर दुनिया हर किसी की ताकत बन गई है, सरकारी क्षेत्र से लेकर व्यवसायियों तक, स्कूली छात्रों से लेकर कॉलेज के छात्रों तक और किशोरों से लेकर वयस्कों तक। साइबर दुनिया का विस्तार, ऑनलाइन धोखाधड़ी, जबरन वसूली, संबंध धोखाधड़ी और कई अन्य अवैध गतिविधियों का भी विस्तार और स्वरूप बदल रहा है। इसके अलावा पैसों का लेन-देन भी कंप्यूटर के इस्तेमाल से किया जाता है। इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना और जागरूक रहना बहुत जरूरी है। इसका इस्तेमाल हर कोई करता है और कोई इसका सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने विशेष साइबर सेल की स्थापना की और साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम संचालित किए।

छात्रों सहित हर कोई इंटरनेट का उपयोग करने का बहुत आदी हो गया है और अपराधियों के लिए बहुत आसान लक्ष्य बन गया है। इसलिए छात्रों को जागरूक करने के लिए कुछ उपाय होने चाहिए। यह अध्ययन साइबर-अपराध शब्द के प्रति कॉलेज के छात्रों के दृष्टिकोण का पता लगाने वाला है।

कार्यप्रणाली और नमूनाकरणरू

चूँकि किसी शोध को करने के कई तरीके होते हैं जैसे आवश्यकता के अनुसार प्रायोगिक शोध, ऐतिहासिक शोध, वर्णनात्मक शोध। दिए गए शोध में अन्वेषक शब्दों, साइबर अपराध जागरूकता, वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति के प्रति छात्रों के रवैये की जांच करना चाहता है और

राजस्थान राज्य के पांच क्षेत्रों (प्रत्येक क्षेत्र से 100 छात्र) से यादृच्छिक नमूना विधि द्वारा 500 कॉलेज छात्रों का नमूना चुना गया था।

प्रयुक्त उपकरण

साइबर अपराध जागरूकता स्केल (सीसीएएस-आरएस) डॉ.एस.राजसेकर द्वारा (2013)।

उद्देश्य

- साइबर-अपराध जागरूकता के प्रति राजस्थान राज्य के कॉलेज छात्रों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- राजस्थान राज्य के पेशेवर और पारंपरिक कॉलेज के छात्रों की साइबर-अपराध जागरूकता का अध्ययन और तुलना करें।
- लिंग के आधार पर राजस्थान राज्य के कॉलेज छात्रों की साइबर-अपराध जागरूकता का अध्ययन और तुलना करना।

परिकल्पना

1. पारंपरिक छात्रों और पेशेवर छात्रों की साइबर-क्राइम जागरूकता के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
2. लिंग के आधार पर साइबर अपराध के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

डेटा विश्लेषण और व्याख्या

उद्देश्य 1: साइबर अपराध जागरूकता के प्रति राजस्थान राज्य के कॉलेज के छात्रों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

तालिका 1

स्कोर	छात्रों की संख्या	व्याख्या
143 और ऊपर	48	उत्कृष्ट जागरूकता
133-142	94	उच्च जागरूकता

123-132	113	औसत से ऊपर जागरूकता
108-122	130	मध्यम/औसत जागरूकता
99-107	85	औसत से निम्न जागरूकता
80-98	30	निम्न जागरूकता

व्याख्या:

उपरोक्त तालिका से पता चला है कि अधिकतम छात्रों में साइबर-अपराध जागरूकता का औसत स्तर है और उनमें से 48 छात्रों में साइबर अपराधों के बारे में उत्कृष्ट जागरूकता है। उनमें से 94 को साइबर अपराधों के बारे में उच्च जागरूकता है। उनमें से 113 को साइबर-अपराधों के बारे में औसत से अधिक जागरूकता है। उनमें से 130 को साइबर-अपराधों के बारे में औसत जागरूकता है। उनमें से 85 को साइबर अपराधों के बारे में औसत से कम जागरूकता है। उनमें से 30 को साइबर-अपराधों के बारे में कम जागरूकता है।

उद्देश्य 2: साइबर अपराध जागरूकता के प्रति राजस्थान राज्य के पेशेवर और पारंपरिक कॉलेज के छात्रों के दृष्टिकोण की तुलना करना।

तालिका 2

समूह	नमूना	माध्य	एसडी	टी परीक्षण	महत्व का स्तर	टिप्पणी
पेशेवर	250	130.63	20.42			

परंपरागत	250	109.72	13.67	13.57	0.01*	महत्वपूर्ण है
----------	-----	--------	-------	-------	-------	---------------

'2.58 0.01 स्तर पर

व्याख्या

उपरोक्त तालिका से पता चला है कि व्यावसायिक छात्रों (130.63) से संबंधित औसत स्कोर पारंपरिक छात्रों (109.72) के औसत स्कोर से अधिक है। गणना की गई "टी वैल्यू" 13.57 है और 498 डीएफआई के लिए सारणीबद्ध मूल्य 2.58 है।

0.01 स्तर इसलिए, परिकलित मान सारणीबद्ध मान से अधिक है। इसलिए, पहली परिकल्पना, "साइबर-अपराध जागरूकता के प्रति व्यावसायिक और पारंपरिक छात्रों के दृष्टिकोण के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होगा" को खारिज कर दिया गया है। यह साबित हुआ कि साइबर-अपराध जागरूकता धारा से प्रभावित है। प्रोफेशनल छात्र पारंपरिक पाठ्यक्रम के छात्रों की तुलना में अधिक जागरूक होते हैं।

उद्देश्य 3: लिंग के आधार पर राजस्थान राज्य के कॉलेज छात्रों की साइबर अपराध जागरूकता का अध्ययन और तुलना करना।

तालिका 3

समूह	नमूना	माध्य	एसडी	टी परीक्षण	महत्व का स्तर	टिप्पणी
लड़के	250	121.63	20.5			

				1.17		महत्वपूर्ण नहीं है
लड़कियाँ	250	123.72	19.35		0.05	

व्याख्या

उपरोक्त तालिका से पता चला कि लड़कों से संबंधित औसत स्कोर (121.63) लड़कियों (123.72) से कम है। परिकल्पित स्टी-मानक 1.17 है और 498 डीएफ के लिए सारणीबद्ध मान 0.05 स्तर पर 1.96 है, जो दर्शाता है कि परिकल्पित मान सारणीबद्ध मान से कम है। इसलिए, परिकल्पना, "साइबर अपराध जागरूकता के प्रति लड़कों और लड़कियों के दृष्टिकोण के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होगा" स्वीकार किया जाता है। इससे पता चला कि साइबर अपराध जागरूकता लिंग से प्रभावित नहीं होती है।

निष्कर्ष

अंत में, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हरियाणा राज्य के कॉलेज के छात्रों के बीच औसत साइबर अपराध जागरूकता है। परिणाम से पता चला कि साइबर-अपराध जागरूकता स्ट्रीम से प्रभावित होती है, इसका मतलब है कि पेशेवर छात्र अपने समकक्षों की तुलना में अधिक जागरूकता दिखाते हैं। इससे यह भी पता चला कि लड़कों और लड़कियों में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता समान है। आजकल साइबर अपराध दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ दिशानिर्देशों और उचित निवारक उपायों से इन अपराधों को कम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि "रोकथाम इलाज से बेहतर है" इसका मतलब है कि हर किसी को इंटरनेट का उपयोग करते समय साइबर से संबंधित परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। सरकार को उससे संबंधित कुछ गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। छात्रों को जागरूक करने के लिए कुछ सेमिनार, कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

1. अल जाबरी. आई. एम. (1996)। सऊदी अरब में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के बीच कंप्यूटर दृष्टिकोण में लिंग अंतर। जर्नल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, 37, 70–75।
2. मल्होत्रा, टी. और मल्होत्रा, एम. (2017)। शिक्षक प्रशिक्षुओं के बीच साइबर अपराध जागरूकता। अंतःविषय अध्ययन के लिए विद्वान शोध पत्रिका.4(31),5249–5259।
3. मेहता, एस. एवं सिंह, वी. (2013)। भारतीय समाज में साइबर कानूनों के बारे में जागरूकता का एक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटिंग एंड बिजनेस रिसर्च, 4(1).आईएसएसएन (ऑनलाइन): 2229–6166
4. नुसरत बेगम (2014)। साइबर संसाधनों का उपयोग करने के प्रति छात्र शिक्षकों का रवैया भारतीय धारा अनुसंधान जर्नल.3(12) आईएसएसएन 2230–7850
5. राजशेखर, एस. (2013)। साइबर संसाधनों के उपयोग के प्रति इंजीनियरिंग छात्रों का रवैया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशनल रिसर्च (आईजेटीईआर)।2(6) आईएसएसएन: 2319–4642
6. सुलेमान, एस एंड श्रीया, बी (2019) चेन्नई के विशेष संदर्भ में साइबर अपराध पर सार्वजनिक जागरूकता। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव एंड एक्सप्लोरिंग इंजीनियरिंग, 9(1), 3362–3364। आईएसएसएन: 2278–3075.

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, here by, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website /amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct, I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and hentriacontane is genuinely mine. If any issue arises related to Plagiarism/ Guide Name/ Educational Qualification /Designation /Address of my university/ college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission /Submission /Copyright /Patent /Submission for any higher degree or Job/Primary Data/Secondary Data Issues. I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the database due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Andhra/Driving License/Any Identity Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper maybe rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds Any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper maybe removed from the website or the watermark of remark/actuality maybe mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

अवनीश कुमार त्यागी,
प्रो. (डॉ.) आर. के. एस. अरोरा
